रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**
**भाग III—खण्ड 4**
**PART III—Section 4**
**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 346]** **नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2016/भाद्र 23, 1938**
**No. 346]** **NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938**

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2016

**फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015.—**खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. मानक/ सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 28 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 9 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

## विनियम

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) आठवाँ संशोधन विनियम, 2016 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में,

(क) खाद्यान से संबंधित विनियम 2.4.6 में, खण्ड 15 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"16 अप्रसंस्कृत साबुत कच्ची दाले (सीधे मानव उपभोग के लिए नहीं): बाह्य द्रव्य (बाहरी द्रव्य) के लिए सीमाएँ भार द्वारा अधिकतम 3.0 प्रतिशत होगी जिसमें से अधिकतम 0.5 प्रतिशत भार द्वारा अकार्बनिक द्रव्य और पशु से उत्पन्न अशुद्धियां होंगी।

इसके अतिरिक्त अंप्रसंस्कृत साबुत कच्ची दालें इस विनियम में निर्दिष्ट अन्य मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी। सीधे उपभोग के लिए इस्तेमाल दालें विनियम 2.4.6 में निर्धारित प्रासंगिक दालों के मानकों के अनुरूप होंगी।"

(ख) विनियम 2.9 में, केसर से संबन्धित उपविनियम 2.9.17 में, मद (VI) के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(VI) शुष्क भार के अनुसार जल में विलेयता भार के अनुसार 65.0 प्रति शत से अनधिक"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./237 (187)]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीएफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

(iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

(v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

(vii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(viii) फा. सं. पी॰15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(ix) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(x) फा. सं. पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xi) फा. सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xii) फा. सं. 1-10(1)/स्टैण्डड्र्स/एसपी (फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी , 2016;

(xiii) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

(xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ़/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;

(xv) फा. सं. 3-14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्टिक्ल्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;

(xvi) फा. सं.1-12/मानक/एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016

(xvii) फा. सं. 1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016 और

(xviii) एफ़. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016.

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Food Safety and Standards Authority of India)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2016

**F. No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015**.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015**,** dated the 28th April, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 9th May, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

**Regulations**

**1. Short title and commencement.—**(1) these regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Eighth Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

**2**. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011,

(a) in regulation 2.4.6 relating to food grains, after clause 15, the following clause shall be inserted, namely:-

"16. UNPROCESSED WHOLE RAW PULSES (not for direct human consumption): The limits for foreign matter (extraneous matter) shall be maximum 3.0 per cent. by weight of which the maximum 0.5 per cent. by weight may be the inorganic matter and impurities of animal origin.

In addition, unprocessed whole raw pulse shall conform to the requirements of other standards referred to in this regulation. Pulses for direct human consumption shall conform to the standards of the relevant pulse prescribed in the regulation 2.4.6.";

(b) in regulation 2.9, in sub-regulation 2.9.17 relating to "Saffron (Kesar)" for item (vi) , the following shall be substituted, namely:-

| | |
|---|---|
| "(vi) Solubility in cold water on dry weight basis | Not more than 65.0 per cent by weight." |

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./237 (187)]

**Note. -** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide the following notification numbers:—

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;

(iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI, dated the 5th December, 2014;

(v) F. No. 1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;

(vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;

(vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(viii) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;

(x) F. No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(xi) F. No P. 15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015 ;

(xii) F. No. 1-10(1)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016

(xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification (Food Additive)/FSSAI-2014, dated the 3rd May, 2016 ;

(xiv) F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated 14th June, 2016;

(xv) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals) /FSSAI-2013, dated the 13th July, 2016;

(xvi) F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;

(xvii) F. No.1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, 23rd August, 2016 and

(xviii) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.15 12:57:26 +05'30'